फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **अपर जिला कलक्टर (प्रथम)** मुकाम **जोधपुर**

अपीलान्ट बनाम **रेस्पोडेन्ट**

दिनेश सोनी पुत्र हीरालाल सोनी, जाति सोनी, निवासी :–ग्राम तुलेसर चारणान, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

1. प्रभुराम पुत्र भगाराम, निवासी :– ग्राम तुलसेर चारणान, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

किस्म मुकदमा **राजस्व अपील** 105 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	बनम्र व इस हुक्म तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
10.12.2019	अपीलान्ट के अभिभाषक हनुमानसिंह राजपुरोहित उपस्थित। अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आदेश दिनांक 26.11.2019 जो तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 11/2019 बअनवान राज्य सरकार बनाम दिनेश सोनी अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित करते हुए अपीलान्ट को सरकारी भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए उसे बेदखल करने के साथ जुर्माना से दंडित किया गया के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते है। अपीलान्ट के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का भाटेलाई पुरोहितान ने तहसीलदार बालेसर के समक्ष रिपोर्ट पेश कि ग्राम तोलेसर चारणा के खसरा नं0 119 रकबा 1.00 बीघा भूमि गै0 मु0 रास्ता सरकारी भूमि पर अप्रार्थी दिनेश सोनी ने सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण किया है। इस पर तहसीलदार, बालेसर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट (अप्रार्थी) को निर्धारित प्रारूप में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया तथा अधीनस्थ अधिकारी द्वारा मामले में अनावश्यक जल्दबाजी दिखाते हुए आनन–फानन में सरसरी तौर पर ही केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए एवं अपीलान्ट (अप्रार्थी) को सुने बिना उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 26.11.2019 को कर दिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित विश्लेषण नहीं किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2019 में खसरा नं0 119 किस्म गै0 मु0 रास्ता की रकबा 1.00 बीघा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा बताया जबकि पटवारी मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का मकान खसरा नं0 120 पर बना हुआ है जिसका आंशिक भाग खसरा नं0 119 में स्थित है। अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अगर	

अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया गया है और सीमाज्ञान से यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलान्ट स्वयं अपने खर्च से अतिक्रमण हटाने को तैयार है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2019 को निरस्त फरमावे।

हमने अपीलान्ट अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी एवं उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पटवारी हल्का भाटेलाई पुरोहितान की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बालेसर द्वारा राजस्व ग्राम तोलेसर चारणा के खसरा नं0 119 रकबा 1.00 बीघा भूमि गै0 मु0 रास्ता पर अपीलान्ट का अतिक्रमण एवं कब्जा मानते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। तहसीलदार, बालेसर को निर्देश दिये जाते है कि वह एक टीम गठित कर गै0 मु0 रास्ते की भूमि का 15 दिवस में सीमाज्ञान करवाये तथा सीमाज्ञान के पश्चात अगर अतिक्रमी द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण पाया जाता है और अतिक्रमी 15 दिवस के भीतर अतिक्रमण हटा लेता है तो अपीलाधीन आदेश निरस्त माना जाएगा। यदि उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को अपीलान्ट नहीं हटाता है तो अपीलाधीन आदेशानुसार तहसीलदार बालेसर को नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बालेसर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.12.30 18:49:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: